2016 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 25 और 26 का संशोधन।
4. धारा 40 का संशोधन।
5. धारा 68 का संशोधन।
6. धारा 74 का संशोधन।

2016 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ठक) "निदेशक, कृषि विपणन" से, कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विधियों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित करे ;";

धारा 25 और 26 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 में "बोर्ड के/का प्रबन्ध निदेशक" शब्द जहाँ–जहाँ आते हैं, के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

धारा 40 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 40 में,–

(क) उपधारा (1) में "संविदा खेती प्रायोजक," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मण्डी क्षेत्र में, व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, प्रसंस्करण कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में, समिति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्राइवेट मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डियों, कृषक उपभोक्ता मण्डियों में प्रचालन की वांछा रखता है तो वह सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।"; और

(ख) उपधारा (1) के अन्तिम परन्तुक में "बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

धारा 68 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) जहां ऐसा आदेश उप निदेशक द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक, कृषि विपणन को; और

(घ) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।"।

धारा 74 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 74 में, "समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन द्वारा या इस निमित्त उन में से किसी भी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) को कृषि और सहबद्ध सेक्टर में मण्डी सुधार आरम्भ करने और कृषकों, संविदा खेती, उपभोक्ता मण्ड़ियों से कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन और क्रय के लिए उपबंध करने तथा प्राइवेट सेक्टर में मण्डियां स्थापित करने, एकल स्थल (पॉइन्ट) उद्ग्रहण, एकीकृत मण्डी, अन्य वस्तुओं के साथ–साथ एकल अनुज्ञप्ति और कृषकों को प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के दृष्टिगत भी पुनः अधिनियमित किया गया था। तथापि, विपणन सेक्टर में और सुधार कार्यान्वित करने के आशय से, विपणन संरचना सुधारने के लिए विकासात्मक और विनियामक कृत्यों के पृथक्कीकरण के लिए उपबंध करना अति वाँछनीय और अनिवार्य समझा गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मन्त्रियों की समिति ने भी संस्तुति की है कि देश में विपणन संरचना सुधारने के लिए विनियामक और विपणन कृत्य पृथक् कर देने चाहिएं। इसलिए, विनियामक और विकासात्मक कृत्यों को पृथक् करने के लिए उपबंध करने तथा प्राइवेट मण्डियों, कृषक मण्डियों, उपभोक्ता मण्डियों, संविदा खेती प्रबन्धन के रजिस्ट्रीकरण, मण्डी कृत्यकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने, उनका नवीकरण करने के लिए उत्तरदायी निदेशक, कृषि विपणन के माध्यम से सभी को समान अवसर देने की व्यवस्था करने तथा समुचित अपीलीय क्रियाविधि स्थापित करने हेतु उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2016

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 4 राज्य सरकार को कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी को, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा "निदेशक, कृषि विपणन" पदाभिहित करने और मण्डी कृत्यकारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु क्रमशः रीति और अवधि विहित करने के लिए सशक्त करने के लिए हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

2. **परिभाषाएं.**——इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,–

(क) से (ट) XXX XXX XXX

(ठ) "सहकारी सोसाइटी" से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों की सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो कृषि उपज के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण, या भण्डारकरण में व्यवहार करती है, या अन्यथा कृषि उपज के निपटाए जाने के कारबार में लगी हुई है;

(ड) से (यद) XXX XXX XXX

25. प्राइवेट प्रांगण, उपभोक्ता और किसान मण्डी को अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा उसका नवीकरण.——(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 22 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज, का कृषकों या उत्पादक से सीधे क्रय करने की वांछा रखता है या प्राइवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है या धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में उपभोक्ता या किसान मण्डी स्थापित करने की वांछा रखता है, तो वह बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक को, ऐसी अवधि के लिये, ऐसे प्ररूप में, ऐसी शर्तों और ऐसी फीसों के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने और नवीकरण के लिये उप–धारा (1) के अधीन, प्राप्त किए गए आवेदन को स्वीकृत या कारण को लिखित में अभिलिखित करते हुए अस्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु अनुज्ञप्ति को प्रदान या नवीकृत नहीं किया जाएगा यदि,——

(i) आवेदक के विरुद्ध समिति देय बकाया है;

(ii) आवेदक अवयस्क हैं या वास्तविक नहीं हैं;

(iii) आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप–विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित है;

(iv) आवेदक, किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया हो और कारावास से दण्डित हो;

(v) राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना या नवीकृत किया जाना उत्पादकों के हितों का उन्नयन (अभिवृद्धि) करने वाला नहीं है; और

(vi) कोई अन्य कारण, जिसे बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक, उत्पादक या उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध समझता है।

26. अनुज्ञप्ति रद्द और निलम्बित करने की शक्ति.——इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 25 के अधीन जारी की गई या नवीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, ऐसे अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :–

(क) यदि अनुज्ञप्ति, जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है; या

(ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या उसका कोई सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों या शर्तों को भंग करता है; या

(ग) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारक अन्य अनुज्ञप्तिधारक के साथ मिल कर कोई कार्य करता है या मण्डी प्रांगण/उप–मण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझ कर बाधा पहुंचाने, स्थगित करने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में अपने सामान्य कारबार को चलाने में परिवर्जन करता है तथा जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित होता है, स्थगित होता है या रूक जाता है;

(घ) यदि अनुज्ञप्तिधारक दिवालिया हो जाता है; या

(ङ) यदि अनुज्ञप्तिधारक, कोई निरर्हता, जो विहित की जाए, से ग्रस्त हो जाता है; या

(च) यदि अनुज्ञप्तिधारक, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है, यदि दोषसिद्धि प्रथम बार है तो एक वर्ष के भीतर और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिये तीन वर्ष के भीतर।

40. मण्डी कृत्यकारियों का रजिस्ट्रीकरण.——(1) प्रत्येक व्यक्ति जो, अधिसूचित कृषि उपज की बाबत मण्डी क्षेत्र में व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रायोजक, प्रसंस्करण कारखाने का स्वामी या अधिभोगी या कोई अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में परिचालन की वांछा रखता है, तो वह, समिति के सचिव को रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा। समिति का सचिव, समिति के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति मण्डी प्रांगण/उप–मण्डी प्रांगण में रजिस्ट्रीकृत हुए बिना भी दिन–प्रति–दिन के आधार पर कृषि उपज खरीद सकेगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो, एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित कृषि उपज व्यापार या संव्यवहार या व्यौहार करने की वांछा रखता है, तो वह स्वयं को, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक से तत्सम्बन्धी कृत्य के लिए रजिस्ट्रीकृत करवाएगा।

(2) कोई भी दलाल, व्यापारी, तोलने वाला, सर्वेक्षक, गोदाम रक्षक या अन्य कृत्यकारी जब तक कि सम्यक् रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब तक इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज की बाबत अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अपना व्यवसाय नहीं करेगा।

(3) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

(4) समिति रजिस्ट्रीकरण कर सकेगी या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगी या निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को नामंजूर कर सकेगी या रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगी :–

(i) यदि आवेदक अवयस्क है; या
(ii) यदि आवेदक व्यतिक्रमी घोषित किया गया है ; या
(iii) यदि आवेदक को, इस अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों के अधीन दोषी पाया गया हो।

68. अपील.——धारा 25, 26 या 40 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, निम्नलिखित को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा–

(क) जहां आदेश समिति के सचिव द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, समिति को;

(ख) जहाँ ऐसा आदेश समिति द्वारा पारित किया गया है, वहाँ आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, बोर्ड को; और

(ग) जहाँ ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा पारित किया गया है, वहाँ ऐसे आदेश के पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।

(2) अपीली प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उस आदेश के लिए जिसके विरूद्ध अपील की गई है, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह उचित समझे, स्थगन आदेश दे सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

74. अपराधों का संज्ञान.——बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद (शिकायत) के सिवाय प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(12)

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICUTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

(13)

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of sections 25 and 26.
4. Amendment of section 40.
5. Amendment of section 68.
6. Amendment of section 74.

(14)

Bill No. 13 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Act, 2016.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(la) "Director of Agricultural Marketing" means such officer of the Agriculture Department as the State Government may, by notification, designate for the purposes of this Act and the rules or bye-laws made theirunder;".

Amendment of sections 25 and 26.

2. In sections 25 and 26 of the principal Act, for the words "Managing Director of the Board" wherever these occur, the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

Amendment of section 40.

3. In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and sign "contract farming sponsor," shall be omitted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if such person desires to operate in the private market yards, private markets, farmers consumer markets managed by a person other than a Committee in the market area as trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Deputy Director, Agriculture Department, of the district concerned or any other officer authorized by the State Government, by notification, in this behalf, for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed, who shall be competent to grant or renew, as the case may be, such registration certificate."; and

(b) in sub-section (1), in last proviso, for the words "Managing Director of the Board", the words "Director of Agricultural Marketing" shall be substituted.

Amendment of section 68.

4. In section 68 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(c) the Director of Agricultural Marketing, where such order is passed by the Deputy Director, within thirty days from the date of order; and

(d) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board or by the Director of Agricultural Marketing, within thirty days from the date of such order.".

5. In section 74 of the principal Act, for the words and sign "Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee", the words "Director of Agricultural Marketing or by any other person duly authorized by any of them" shall be substituted. Amendment of section 74.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005) was re-enacted with a view to initiate market reforms in the agricultural and allied sector and to provide for direct marketing and purchase of agricultural produce from farmers, contract farming, consumer markets and setting up of markets in private sector, single point levy, unified market, single license amongst other things and also ensuring competition, transparency and remunerative prices to farmers. However, in order to carry forward further reforms in the marketing sector, it is considered most desirable and essential to provide for separation of developmental and regulatory functions for improving the marketing structure. Moreover, the Committee of State Minister-in-Charge of the Agricultural Marketing has also recommended that the Regulatory and Marketing functions should be separated for improving the marketing structure in the country. Thus, it has been decided to make provision for separation of regulatory and developmental functions and to provide a level playing field through the institution of the Director of Agricultural Marketing responsible for grant and renewal of licenses for private markets, farmer's markets, consumer's market, registration of contract farming arrangement, registration of market functionaries and setting up of appropriate appellate mechanism. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUJAN SINGH PATHANIA)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ....., 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted will be implemented through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure out of State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 2 and 4 of the Bill seeks to empower the State Government to designate any officer of the Agriculture Department, by notification, to be the "Director of Agricultural Marketing" for the purposes of the Act and to prescribe the manner and period for registration of market functionaries respectively. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

(19)

THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).

(SUJAN SINGH PATHANIA)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

The ....., 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 2005 (ACT No. 20 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) to (k) XXX XXX XXX

(l) **"Cooperative Society"** means a Cooperative Society of producers registered under the provisions of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968, which deals in the purchase, sale, processing, or storage of agricultural produce, or is otherwise engaged in the business of disposal of agricultural produce;

(m) to (zv) XXX XXX XXX

25. Grant and renewal of license of private yard, consumer's and farmer's market.—(1) Any person who under section 22 desires to purchase notified agricultural produce direct from the agriculturists or the producer or wishes to establish a private market yard or under sub-section (1) of section 23 desires to establish consumer or farmer's market in one or more than one market area, shall apply to the Managing Director of the Board for grant or renewal of license, as the case may be, for such period, in such form, on such conditions and on payment of such fees as may be prescribed.

(2) Application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected for the reasons to be recorded in writing; provided that a license shall not be granted or renewed if,—

(i) the Committee dues are outstanding against the applicant;

(ii) the applicant is a minor or not bonafide;

(iii) the applicant has been declared defaulter under the Act and the rules and bye-laws made thereunder;

(iv) the applicant having been declared guilty in any criminal case and convicted by imprisonment;

(v) the State Government is satisfied that granting or renewal of license to the applicant is not going to promote the interest of the producers; and

(vi) there is any other reasons which the Managing Director of the Board may consider to be against the interest of producer or the consumer.

26. Power to cancel or suspend license.—Subject to the provisions of this Act, any license issued or renewed under section 25, may be suspended or cancelled by the Managing Director of the Board, after affording the holder of such license the opportunity of being heard, on any of the following grounds :—

(a) if the license has been obtained through wilful misrepresentation or fraud; or

(b) if the holder of the license or any of his servant or any person acting on his behalf, commits a breach of any of the terms or conditions of license; or

(c) if the holder of the license in combination with other license holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of wilfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce in the market yard/ sub- market yard and in consequence where of the marketing of any notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped;

(d) if the holder of the license has become an insolvent; or

(e) if the holder of license incurs any disqualification as may be prescribed; or

(f) if the holder of the license is convicted of any offence under this Act, then within one year of the conviction, if the conviction is for the first time, and within three years for subsequent conviction.

40. Registration of market functionaries.—(1) Every person who, in respect of notified agricultural produce, desires to operate in the market area as a trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Secretary of the Committee for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed. The Secretary of the Committee shall be the authority to grant registration certificate with the prior approval of the Committee:

Provided that any person may buy agricultural produce in the market yard/ sub-market yard on day to day basis even without getting registered :

Provided further that any person who desires to trade or transact or deal in any notified agricultural produce in more than one market area, shall get registered, for respective function from the Managing Director of the Board.

(2) No broker, trader, weighman, surveyor, godowns keeper or other functionaries shall, unless duly registered, carry on his occupation in a notified market area in respect of the notified agricultural produce under this Act.

(3) Every application for such registration shall be accompanied with such fee as may be prescribed.

(4) The Committee may register or renew the registration or refuse registration or renewal of the registration or cancel the registration on any of the following grounds :—

(i) if the applicant is a minor; or

(ii) if the applicant has been declared defaulter; or

(iii) if the applicant has been found guilty under this Act, the rules and bye-laws made thereunder.

68. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order passed under sections 25, 26 or 40 may prefer an appeal, in such form and in such manner as may be prescribed, to—

(a) the Committee, where such order is passed by the Secretary of the Committee within thirty days from the date of order;

(b) the Board, where such order is passed by the Committee within thirty days from the date of order; and

(c) The State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board, within thirty days from the date of such order.

(2) The Appellate Authority, if it considers necessary to do so, may grant stay of the order appealed against for such period as it may deem fit.

(3) The order passed by the State Government under this section shall be final.

74. Cognizance of offences.—No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall take cognizance of any offence punishable under this Act or rule or bye-laws made there-under except on a complaint made by the Managing Director of the Board or by the Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee in this behalf.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—251—जुड0/2016—19—7—2016—200 प्रतियां।